दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, बुधवार 08 अप्रैल 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 188

महत्वपूर्ण एवं खास

क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

» अगस्तावेस्टलैंड मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के संबंध में गिरफ्तार कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने तिहाड़ जेल में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा होने के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए कहा कि मिशेल की ये आशंकाएं निराधार हैं कि उसकी अधिक आयु और जेल में अत्यधिक कैदी होने के कारण उसे कोविड-19 संक्रमण का खतरा है। जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी ने इस अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था। 59 वर्षीय मिशेल ने दावा किया था कि उसका स्वास्थ्य दुरुस्त नहीं है और वह कोविड-19 संक्रमण के खतरे से निपटने में सक्षम नहीं है। उसने कहा था कि यदि वह संक्रमित हो जाता है तो यह उसके लिए घातक हो सकता है क्योंकि वह पहले से ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। इस हेलीकाप्टर सौदे के सिलसिले में क्रिश्चियन मिशेल को प्रवर्तन निदेशालय ने 22 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे के सिलसिले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने मामले दर्ज किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में अंतर्राज्यीय आवागमन प्रारंभ करने के पूर्व पूरे देश में कोविड-19 के प्रसार की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए ठोस उपाय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 74 हुयी

» 12 नए मामले मिले

भोपाल (आरएनएस)। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 12 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद यहां प्रभावितों को आंकड़ा बढ़कर 74 हो गया है, जबकि अब तक यहां एक मरीज की मौत हुयी है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया की सुबह प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार भोपाल में कोरोना संक्रमित 12 नए मरीज मिले हैं, जिनकी सेम्पल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के कर्मचारी है। इनमें से 5 व्यक्ति स्वास्थ विभाग के कर्मचारी है और सात मरीज पुलिस और उनके परिवार के लोग है। इन सभी के विगत दिनों सैंपल ले जाने के बाद आज प्राप्त रिपोर्ट में 12 नए मरीजों के कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। भोपाल में अभी तक 74 लोग इस संक्रमण के पाए गए है, जिनमे से दो संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके है और एक व्यक्ति की मृत्यु हुयी है।

कोरोना से लड़ाई में राज्यों को नहीं होगी पैसों की कमी: आरबीआई

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस से पूरा देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। राज्य सरकारें कोरोना से निपटने में पूरी तरह लगी हुई है। ऐसे में उनकी फंड की जरूरतों को पूरी करने के लिए आरबीआई ने एक अहम कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार आरबीआई ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिए ओवरड्राफ्ट से जुड़े नियमों में ढील दी है। यह ढील तुरंत प्रभाव से जारी होकर 30 सितंबर 2020 तक चलती रहेंगी। देश में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू कम हो गई है। वहीं कई राज्यों को सैलरी में भी कटौती करनी पड़ी है। आरबीआई ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ओवरड्राफ्ट जारी रखने की अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया है। इसी तरह, किसी राज्य व केंद्रशासित प्रदेश में किसी तिमाही में ओवरड्राफ्ट हो सकने वाले दिनों की संख्या मौजूदा 36 दिनों के दिनों से बढ़ाकर 50 दिन कर दी गई है।

तबलीगी जमात ने किया आंख खोलने वाला नुकसानः नायडू

नई दिल्ली (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि लॉकडाउन का आखिरी सप्ताह उससे बाहर निकलने की रणनीति तय करने की दृष्टि से बड़ा अहम है क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने के संबंध में प्राप्त आंकड़ों का सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णय पर असर होगा।

उन्होंने लोगों से अपील की कि आखिरकार सरकार जो भी निर्णय ले, उसका वे पालन करें और 'यदि उसका तात्पर्य 14 अप्रैल के बाद भी कुछ हद तक कठिनाइयां जारी रहना हो, तो भी वे उसी जज्बे के साथ सहयोग करें जो अब तक नजर आया है।

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को घोषित किया था और वह उसके अगले दिन प्रभाव में आ गया था। नायडू ने यहां जारी एक बयान में कहा कि 25 मार्च के बाद से आज इस लॉकडाउन का दूसरा सप्ताह पूरा हो गया, ऐसे में मैंने कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न संकट से उबरने के लिए वर्तमान प्रयासों के बीच लोगों और इस देश के नेतृत्व के पास अपनी राय एवं अपनी चिंता रखना उपयुक्त समझा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य हित एवं अर्थव्यवस्था के स्थिर होने के बीच की बहस में वाकई जनस्वास्थ्य अर्थव्यवस्था (के स्थिरीकरण) से ऊपर है। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से अर्थव्यवस्था की चिंताएं एक और दिन इंतजार कर सकती हैं, स्वास्थ्य नहीं। लॉकडाउन खत्म करने के संबंध में सरकार द्वारा बनायी जा रही योजना के संदर्भ में नायडू ने कहा कि लॉकडाउन का अगला एक सप्ताह उससे बाहर निकलने की रणनीति तय करने की दृष्टि से बड़ा अहम है क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने के संबंध में प्राप्त आंकड़ों और अगले सप्ताह के दौरान उस की दर का सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णय पर असर होगा। उन्होंने तबलीगी जमात के कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में सहभागिता की सीमा और उसके गुणनकारी प्रभाव ने हमारी उम्मीदों को बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इसे टाला जा सकता था।

कोरोनाग्रस्त एक व्यक्ति 406 लोगों को कर सकता है संक्रमित

» स्वास्थ्य मंत्रालय का खुलासा

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस के हालात को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन करते हुए बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 354 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अब तक 4421 लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।

सचिव ने बताया कि सोमवार से अब तक इस वायरस के चलते आठ लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक 326 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं और उन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एक व्यक्ति द्वारा कितने लोगों को संक्रमित किया जा सकता है इस सवाल पर सचिव ने कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के हालिया अध्ययन से पता चलता है कि एक कोरोना मरीज लॉकडाउन आदेशों या सामाजिक दूरी का पालन का नहीं करता है, तो वह रोगी 30 दिनों में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर वही व्यक्ति सरकार द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों का 70 फीसदी भी पालन करता है तो वह ज्यादा से ज्यादा औसतन 2.5 लोगों को संक्रमित कर सकता है।

सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के निर्यात से प्रतिबंध हटाया

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कारगर माने जा रहे एंटी मलेरिया दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने एंटी मलेरिया दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात से आंशिक तौर पर बैन हटा दिया है।

भारत ने कहा कि घरेलू जरूरतों का हिसाब लगाने के बाद ही कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित देशों की मांग पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की आपूर्ति को लेकर फैसला लिया जाएगा। यानी अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि किस देश को कितनी आपूर्ति की जाएगी। यह जानकारी इस मामले से जुड़े लोगों ने दी। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की आपूर्ति की गुहार लगाई है। एक अधिकारी की माने तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के निर्यात पर से आंशिक तौर पर बैन हटा दिया गया है, मगर पारासिटामोल का निर्यात प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की उपलब्धता के आधार पर ही देशों द्वारा की गई मांग को मंजूरी दी जाएगी। कोविड -19 महामारी से संबंधित मानवीयता के आधार पर फार्मास्यूटिकल्स विभाग और विदेश मंत्रालय इस तरह के इस दवा के निर्यात और आवंटन पर निर्णय लेगा।

पलायन वाले मजदूरों के स्वास्थ्य और प्रबंधन के हम एक्सपर्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मदेनजर 21 दिन के लॉकडाउन की वजह से पलायन करने वाले कामगारों के स्वास्थ्य और उनके प्रबंधन से जुड़े मुद्दों से निबटने के विशेषज्ञ नहीं है और बेहतर होगा कि सरकार से जरूरतमंदों के लिये हेल्पलाइन शुरू करने का अनुरोध किया जाये। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पलायन करने वाले कामगारों के जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए श्रमिकों को उनका पारिश्रमिक दिलाने के लिये सामाजिक कार्यकताओं हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एक जनहित याचिका पर सरकार से जवाब मांगा था और उसने इस स्थिति से निबटने के बारे में उसके जवाब पर संतोष व्यक्त किया था। पीठ ने कहा था कि सरकार स्थिति पर निगाह रखे है और उसने इन कामगारों की मदद के लिये हेल्पलाइन भी शुरू की है। पीठ ने इस याचिका की सुनवाई 13 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी और कहा कि हम सरकार के विवेक पर अपनी इच्छा नहीं थोपना चाहते।

पहले हमारे नागरिकों को मिले ज़रूरी दवा : राहुल

नईदिल्ली (आरएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रॉक्सी क्लोरोचीन की भारत से आपूर्ति नहीं होने पर पलटवार की धमकी के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को किसी के दबाव में आये बिना पहले अपने नागरिको को जीवन रक्षक दवा उपलब्ध करानी चाहिए।

गांधी ने मंगलवार को कहा कि सबसे पहले हमारे नागरिको की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए और उनको पर्याप्त मात्रा में ज़रूरी दवा मिलनी चाहिए उसके बाद ही ज़रूरतमंद देशो की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, दोस्ती में बदला नहीं होता।

भारत को संकट के समय सभी ज़रूरतमंद देशों की मदद करनी चाहिए लेकिन पहले देशवासियो के लिए पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवा उपलब्ध होनी चाहिए। गौतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर भारत ने हाइड्रॉक्सी क्लोरोचीन दवा के निर्यात से प्रतिबंध नहीं हटाया तो वह जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं।

कोरोना संकट में रेलवे रोजाना तैयार करेगा 1000 पीपीई किट!

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी पहल की शुरुआत की है। इस महामारी से लड़ने वालों के लिए भारतीय रेलवे पीपीई किट तैयार करेगा।

रेलवे ने अपने 17 वर्कशॉप में रोजाना 1,000 किट बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे के अनुसार उत्तर रेलवे के जगाधरी वर्कशॉप में यह पीपीई किट बन कर तैयार हुई है। जगाधरी वर्कशॉप रेलवे का पहला वर्कशॉप बन गया है, जहां पर दो पीपीई कवरॉल नमूने वाली पीपीई किट बन कर तैयार हई है। रेलवे द्वारा इस निर्मित पीपीई किट को डीआरडीओ ने भी परीक्षण में पारित कर दिया है। रेलवे के इस वर्कशॉप में बनाई यह पीपीई किट को देश की अन्य एजेंसियों से भी मंजूरी मिल गई है। आने वाले दिनों में उत्पादन में और तेजी आ सकती है।

भारतीय रेलवे द्वारा बनाई गई इस किट का अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। सरकार का अनुमान है कि देश में डॉक्टर्स और अन्य मेडिकल से जुड़े लोगों को जून तक करीब 1.5 करोड़ सूट की आवश्यकता होगी। भारतीय रेलवे के लिए यह एक बड़ी सफलता को लेकर रेलवे ने कहा कि इसकी सफलता के बाद रेलवे देश में पीपीई किट की कमी को कम करने के लिए हर संभव योगदान कर सकता है। यह पीपीई किट कोविड-19 के खिलाफ युद्ध लड़ने में मददगार साबित होगा।

अपनी जरूरतें पूरी होने के बाद ही दवाओं का निर्यात

» ट्रंप की धमकी पर भारत की खरी-खरी » पैरासिटामोल-हाइड्रॉक्सीक्लोरोचीन के निर्यात पर जारी रहेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना से निपटने के लिए हाइड्रॉक्सीक्लोरोचीन की आपूर्ति नहीं करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई का भारत ने जैसे को तैसा के अंदाज में जवाब दिया है। भारत ने इस मुद्दे पर बेवजह विवाद खड़ा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी प्राथमिकता पहले अपना देश और अपने नागरिक हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि पैरासिटामोलऔर हाइड्रॉक्सीक्लोरोचीन के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गौरतलब है कि ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत ने हाइड्रॉक्सीक्लोरोचीन पर से प्रतिबंध नहीं हटाया तो अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बयान जारी कर कहा कि किसी भी सरकार का दायित्व होता है कि पहले वह सुनिश्चित करे कि उसके अपने लोगों के पास दवा या इलाज के हर जरूरी संसाधन उपलब्ध हों। इसी के मद्देनजर शुरू में कुछ एहतियाती कदम उठाए गए थे और पैरासिटामोल और हाइड्रॉक्सीक्लोरोचीन जैसी कुछ दवाओं के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर बेवजह खड़ा किया जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए जरूरी दवाएं लाइसेंस कटेगरी में रहेगी। हम देश में मौजूद इन दवाईयों के स्टॉक और जरूरतों पर लगातार नजर रख रहे हैं। स्थिति की समीक्षा की गई है। फिर कुछ दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।

कोरोना से संक्रमित 10 इंडोनेशियाई के खिलाफ मामला दर्ज

हैदराबाद (आरएनएस)। तेलंगाना पुलिस ने करीमनगर में एक धार्मिक प्रचार अभियान के दौरान पिछले महीने कोविड-19 संक्रमण की जांच में संक्रमित पाए गए 10 इंडोनेशियाई नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन विदेशी लोगों का हैदराबाद के सरकारी गांधी अस्पताल में इलाज पूरा हो गया है, वे अब स्वस्थ हैं। इन पर अब विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन्होंने करीमनगर में आने से पहले दिल्ली में तब्लीगी जमात की बैठक में भाग लिया था। इसके बाद यह ट्रेन से यहां पहुंचे। इंडोनेशियाई समूह के साथ ही उन्हें यहां लेकर आए दो एजेंट और करीमनगर के चार स्थानीय लोगों को भी महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपित किया गया है। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट स्थित टाउन थाने के एसओ ने स्वत संज्ञान लेते हुए विदेशी अधिनियम की धारा-14 के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि, मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इंडोनेशियाई नागरिकों का इलाज पूरा हो चुका है और वे स्वस्थ हैं।

लॉक डाउन खत्म करने पर अभी फैसला नहीं

» देश में लॉक डाउन बढ़ाने के पक्ष में अधिकतर मुख्यमंत्री

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस और लॉक डाउन को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई इस बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात की समीक्षा की गई।

साथ ही लॉक डाउन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का प्लान तैयार किया गया। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच सबके मन में सवाल है कि 14 अप्रैल के बाद क्या लॉक डाउन खत्म होगा? इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिल पाया है। दरअसल मोदी सरकार ने अभी लॉक डाउन को खत्म करने या बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया है। लॉक डाउन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे राज्यों क मुख्यमंत्रियों मुख्यमंत्रियों ने केंद् केंद्र सरकार से यह अपील की है की लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई जाए 8 अप्रैल को सभी पार्टियों के साथ प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं जिसमें संभावना है कि या तो लॉक डाउन की अवधि बढ़ा दी जाएगी नहीं तो कुछ दिनों की राहत देने के बाद दोबारा लॉक डाउन पूरे देश में लगा दी जाएगी क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से बहुत ही खराब स्थिति हो सकती है देश में इसलिए लॉक डाउन बढ़ाने के पक्ष में राज्यों के अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने सहमति जताई है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि अगर लोगों की जान बचा ली जाएगी तो देश की अर्थव्यवस्था हम लोग बाद में मिलकर सुधार लेंगे अभी हमें कठोर कदम उठाने की जरूरत है।

क्राइम ब्रांच ने कसा तबलीगी जमात के मरकज पर शिकंजा

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अब निजामुद्दीन में स्थित तबलीगी जमात के मरकज पर शिकंजा कसना प्रारंभ कर दिया है। आपको बताते जाए कि मरकज का कोरोना कनेक्शन सामने आने के बाद जमात के अमीर मौलाना साद सहित सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के बैंक अकाउंट को खंगालना शुरू कर दिया है। क्राइम ब्रांच की ओर से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनको कौन-कौन लोग फंडिंग कर रहे थे। इसके अलावा किन-किन संस्थाओं से जमात को चंदा मिल रहा था। पीएफआई संस्था से फंडिंग हुई या नहीं? इसकी जांच भी की जा रही है। इस बीच मौलाना साद की भी तलाश तेज हो गई है। फिलहाल वह फरार है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल ही मौलाना साद को दूसरा नोटिस भेज दिया है। जिसमें 26 सवालों के जवाब मांगे गए थे।क्राइम ब्रांच ने उसके सेल्फ चारनटीन में होने की दलील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसके पास ऑनलाइन अपनी सफाई देने का मौका है।